


154

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ
रीवा, जिला-रीवा (म०प्र०)

Rs 30/-



R 5533 II/16

सुरेन्द्र कुमार सिंगरौल तनय सुन्दर लाल लोधी
पेशा-खेती, निवासी ग्राम-मतरी पतौरा, तहसील-उचेहरा,
जिला-सतना, (म०प्र०)

अधिवक्ता श्री चक्रधर सिंह
द्वारा प्रस्तुत 16-12-16

-----आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम्

रामसिरोमणि सिंह तनय श्री रामपाल सिंह पेशा-खेती
सीकिन सेमरी कुर्मिहाई, तहसील-उचेहरा, जिला-सतना,
(म०प्र०)

-----अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक
20-07-2016 द्वारा कार्यालय
राजस्व निरीक्षण मण्डल उचेहरा,
राजस्व प्रकरण क्रमांक-41ए12
/2015-16 जिसके द्वारा
निगरानी कर्ता को बिना सूचना
दिये फर्जी दस्तखत बनाकर
सीमांकन कर उसकी पुष्टि की गई
निगरानी अंतर्गत धारा 50
म०प्र०भू-राजस्व संहिता सन्
1959ईस्वी

श्री चक्रधर सिंह

सुरेन्द्र कुमार सिंगरौल

154
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक... R. 5533 - 11/16 जिला... सतना

..... सुरेन्द्र कुमार सिंगरानी विरुद्ध रामासरीमानी सिंह

1	2	3
19-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार सिंगरानी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त... अयेहरा तहसील... अयेहरा के प्रकरण क्रमांक... 41/A-12-15-16 में पारित आदेश दिनांक... 20-7-16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर... सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ... 14-3-19 को कलेक्टर... सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">\ / सदस्य</p>	

ms